

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|--|-----------------------------|
| सं. 441] | दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 01, 2017/अग्रहायण 10, 1939 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 365 |
| No. 441] | DELHI, FRIDAY, DECEMBER 01, 2017/AGRAHAYANA 10, 1939 | [N.C.T.D. No. 365 |

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सं. 42/ 2017-राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(60)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/779.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 11 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व -1) की अधिसूचना सं. 2/2017 राज्य कर (दर), तारीख जून 30, 2017, सं.फा. 03(15)वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/374, तारीख जून 30, 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, -

(1) सूची में,-

(i) क्रम संख्या 8 और 9 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|----|---|---|
| "8 | 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 | सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित |
| 9 | 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210 | सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]"; |

- (ii) क्रम संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा ;
- (iii) क्रम संख्या 21 और 22 और उनसे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|-----|---|---|
| "21 | 0304, 0306, 0307, 0308 | सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित |
| 22 | 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 | सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]"; |

- (iv) क्रम संख्या 23, 24 को और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;
- (v) क्रम संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|------|------|---|
| “30क | 0504 | सभी सामान, ताजा या द्रुत शितित |
| 30ख | 0504 | सभी सामान, (ताजा या द्रुत शितित से भिन्न) उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ”; |

(vi) क्रम संख्या 43 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|------|------|---|
| “43क | 0710 | वनस्पतियां (बिना पकाई गई या भापन या पानी में उबाल कर पकाई गई), हिम शीतित उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ”; |
|------|------|---|

(vii) क्रम संख्या 46 के स्तंभ (3) में, शब्दों “ताजा, द्रुतशितित” के स्थान पर शब्दों “ताजा, या द्रुतशितित, शुष्क” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 46 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|------|------|---|
| “46क | 0714 | मेनिओक, अरारूट, संलेप, जेरुसलम पाथीचक, शकरकंद और वैसी ही जड़ें और कंद, जिनमें स्टार्च और इन्सुलिन की मात्रा अधिक है, हिमशीतित, चाहे स्लाइस किए गए हैं या नहीं या गुटिका रूप में हैं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] |
| 46ख | 08 | शुष्कित मखाना, चाहे कवचयुक्त या छिलका रहित है या नहीं उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट कंटेनर में रखा गया हो और,- |

| | | |
|--|--|--|
| | | (क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या (ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिस पर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध I में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नाम पर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]"; |
|--|--|--|

(ix) क्रम संख्या 77 के स्तंभ (3) में, शब्दों "आलू का आटा" के स्थान पर शब्दों "आलू का आटा, अवचूर्ण, चूर्ण पत्र या दलित" को प्रति स्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 78 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|------|------------|-----------------|
| "78क | 1106 10 10 | ग्वार अवचूर्ण"; |
|------|------------|-----------------|

(xi) क्रम संख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|------|------------|--|
| "87क | 1210 10 00 | हाप कोन, जो दलित, चूर्णित या गुटिका के रूप में नहीं है"; |
|------|------------|--|

(xii) क्रम संख्या 93 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा:—

| | | |
|------|------------|-----------------------|
| "93क | 1404 90 60 | नारियल कवच, अकर्मित"; |
|------|------------|-----------------------|

(xiii) क्रम संख्या 94 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "सभी प्रकार के गुड़, जिसके अंतर्गत गन्ना (गुड़) पालमिरा गुड़ सम्मिलित है; खांडसारी चीनी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 103 के स्तंभ (3) की प्रविष्टि, के स्थान पर, प्रविष्टि "नमक (टेबल नमक और विकृतनमक (और शुद्ध सोडियम क्लोराइड, चाहे जलीय घोल या नहीं, या एंटी-केक या मुफ्त फ्लोइंग एजेंटयुक्त; समुद्र जल" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 103 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :-

| | | |
|-------|----|----------------------------|
| "103क | 26 | यूरेनियम ओर कॉन्सेंट्रेट"] |
|-------|----|----------------------------|

(xvi) क्रम संख्या 136 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, यथा :-

| | | |
|-------|------|------------------------------|
| "136क | 7113 | लाख या शलक लाख की चूड़ियाँ"; |
|-------|------|------------------------------|

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में उपखंड (ख)के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1999 के तहत 15 मई 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1957(1957 का 14) के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को या उसके बाद पंजीकृत एक ब्रांड”

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव -VI (वित्त)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना सं. 2/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/201718/डीएस-VI/374 तारीख 30 जून, 2017 द्वारा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, द्वारा अधिसूचना सं. 35/2017-राज्य कर (दर), तारीख 24 नवम्बर, 2017 सं. फा. 03(48)/वित्त (राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/751, तारीख 24 नवम्बर, 2017 द्वारा किया गया था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 30th November, 2017

No. 42/2017-State Tax (Rate)

No. F. 3(60)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/779.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue-1), No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(1) in the Schedule,

(i) for S. Nos. 8 and 9 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:—

| | | |
|----|---|---|
| “8 | 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209 | All goods, fresh or chilled |
| 9 | 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, | All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”; |

| | | |
|--|---------------|--|
| | 0209, 0210 | |
|--|---------------|--|

(ii) S. Nos. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and the entries thereof shall be omitted;

(iii) for S. Nos. 21 and 22 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

| | | |
|-----|---|--|
| “21 | 0304, 0306, 0307, 0308 | All goods, fresh or chilled |
| 22 | 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308 | All goods [other than fresh or chilled] and other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]” ; |

(iv) S. Nos. 23, 24 and the entries thereof shall be omitted;

(v) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|------|------|--|
| “30A | 0504 | All goods, fresh or chilled |
| 30B | 0504 | All goods [other than fresh or chilled] other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]” ; |

(vi) after S. No. 43 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|------|------|--|
| “43A | 0710 | Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen, other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or |
|------|------|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]” ; |
|--|--|--|

(vii) in S. No. 46, in column (3), for the words “fresh or chilled” the words “fresh or chilled, dried” shall be substituted;

(viii) after S. No. 46 and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|------|------|--|
| “46A | 0714 | Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, frozen, whether or not sliced or in the form of pellets other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I] |
| 46B | 08 | Dried makhana, whether or not shelled or peeled [other than those put up in unit container and, - (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or enforceable right in respect of such brand name has been foregone voluntarily], subject to the conditions as in the ANNEXURE I]”; |

(ix) in S. No. 77, in the entry in column (3), for the words “Flour of potatoes” the words “Flour, powder, flakes, granules or pellets of potatoes”, shall be substituted;

(x) after S. No. 78 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|------|------------|--------------|
| “78A | 1106 10 10 | Guar meal” ; |
|------|------------|--------------|

(xi) after S. No. 87 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|------|------------|--|
| “87A | 1210 10 00 | Hop cones, neither ground nor powdered nor in the form of pellets” ; |
|------|------------|--|

(xii) after S. No. 93 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|------|------------|---------------------------|
| “93A | 1404 90 60 | coconut shell, unworked”; |
|------|------------|---------------------------|

(xiii) in S. No. 94, for the entry in column 3, the entry “Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery; Khandsari Sugar” shall be substituted;

(xiv) in S. No. 103, for the entry in column (3), the entry “Salt (including table salt and denatured salt) and pure sodium chloride, whether or not in aqueous solutions or containing added anti-caking or free flowing agents; sea water”, shall be substituted;

(xv) after S. No. 103 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|-------|----|---------------------------|
| “103A | 26 | Uranium Ore Concentrate”; |
|-------|----|---------------------------|

(xvi) after S. No. 136 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

| | | |
|-------|------|---------------------------|
| “136A | 7113 | Bangles of lac/ shellac”; |
|-------|------|---------------------------|

(2) in the Explanation, in clause (ii), for sub-clause (b), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

(b) The phrase “registered brand name” means, -

(A) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under the Trade Marks Act, 1999 irrespective of whether or not the brand is subsequently deregistered;

(B) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under the Copyright Act, 1957 (14 of 1957);

(C) a brand registered as on or after the 15th May 2017 under any law for the time being in force in any other country.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 15th day of November, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note : The principal notification No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No. F. 3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated the 30th June, 2017 and was last amended by Notification No. 35/2017-State Tax (Rate) dated 24th November, 2017 published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number F. 3 (48)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/751, dated the 24th November, 2017.

दिल्ली, 30 नवम्बर, 2017

सं.फा. 03(67)/वित्त/(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/780.—दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 3 एवं दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2004 (2005का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 66 की उपधारा (2) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-राज्यपाल, निम्नलिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियमों के तहत आयुक्त, राज्य कर एवं मूल्य संवर्धित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सहायता हेतु अधिनियमों के लागू होने तथा पद ग्रहण की तिथि से नियुक्त करते हैं; अर्थात:-

| क.सं. | अधिकारी का नाम | पद ग्रहण करने की तिथि | दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पदनाम | मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 के अन्तर्गत पदनाम |
|-------|----------------|-----------------------|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (1) | पी.एस. धारीवाल | 30.05.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (2) | शंकर देव शर्मा | 31.05.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (3) | विमल दिवाकर | 30.05.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (4) | नागेश कुमार | 05.06.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (5) | अल्का चौधरी | 30.05.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (6) | आर. डी. शर्मा | 01.07.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |

| | | | | |
|------|-----------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| (7) | राजेन्द्र कुमार आहुजा | 14.07.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (8) | डेनियल मसीह | 12.07.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (9) | युवराज सिंह सेनी | 17.07.2017 | सहायक आयुक्त, राज्य कर | मूल्य संवर्धित कर अधिकारी |
| (10) | चरनजीत सिंह | 31.03.2017 | वस्तु एवं सेवा कर निरीक्षक | मूल्य संवर्धित कर निरीक्षक |

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप सचिव-VI (वित्त)

Delhi, the 30th November, 2017

No. F. 3(67)/Fin.(Rev.-I)/2017-18/DS-VI/780.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 and in exercise of the power conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to appoint the following officers for discharging of statutory duties under these Act as per the acts enforce and with effect from the date of assumption of charge to assist the Commissioner of State Tax and Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, in the administration of the said Acts namely:

| S. N. | Name of the Officer | Date of Joining | Designation under Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 | Designation under Value Added Tax Act, 2004 |
|-------|----------------------|-----------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (1) | P.S. DHARIWAL | 30.05.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (2) | SHANKAR DEV SHARMA | 31.05.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (3) | VIMAL DIWAKAR | 30.05.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (4) | NAGESH KUMAR | 05.06.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (5) | ALKA CHOUDHARY | 30.05.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (6) | R.D. SHARMA | 01.07.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (7) | RAJENDER KUMAR AHUJA | 14.07.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (8) | DENIEL MASIH | 12.07.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (9) | YUVRAJ SINGH SAINI | 17.07.2017 | Assistant Commissioner of State Tax | Value Added Tax Officer |
| (10) | CHARANJIT | 31.03.2017 | Goods and Services Tax Inspector | Value Added Tax Inspector |

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (FINANCE)